

डिक्री बमुकदमें ईब्दाई  
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया  
वादपत्र अन्तर्गत धारा :- 88/53 आरटीए  
प्रकरण संख्या:- 75/2026

बलजीत सिंह पुत्र श्री टेक सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया।

- वादी

बनाम्

1. गुरसहज सिंह पुत्र श्री हरमेल सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया।
2. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे बहाजरी श्री बलवन्त झोरड़ वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री संजय धारणियां वकील प्रतिवादी संख्या 1 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 को निम्नानुसार भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित कर वादी एवं प्रतिवादी का खाता निम्नानुसार अलग-अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं:-

3. वादी बलजीत सिंह पुत्र टेक सिंह के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :- चक 12 बीजीपी के खाता सं. 178/116 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
189/148	12	23/0.253 है. 24/0.231 है.

4. प्रतिवादी संख्या 1 गुरसहज सिंह पुत्र हरमेल सिंह के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :- चक 12 बीजीपी के खाता सं. 178/116 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
189/148	12	24/0.022 है. की उतरी पूर्वी दिशा किला नम्बर 25 के चिपती, 25/1/0.206, 25/2/0.047 है. गै.मु.रास्ता

नोट:- वादी/प्रतिवादी की परस्पर सहमति पर प.न. 189/148 मु.न. 12 किला नम्बर 25 की दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर 0.022 है. रास्ता स्वीकृत किया जाता है और उक्तानुसार वादी का हिस्सा कम कर प्रतिवादी संख्या 1 का बढ़ाया जाता है। वादग्रस्त आराजी बैंक रहन हो तो ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश होने पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज........नल........मुब्लिक........निल........बाबत........निल........खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक........अदा करें।

बसब मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....18.5.1026.....को जारी किया गया।



(जय कौशिक)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया